-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **"ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना जसपुरा पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 05 किलो 150 ग्राम अवैध सूखा गांजा, अवैध तमंचा व कारतूस आदि सहित परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**
- **अभियुक्तों द्वारा हमीरपुर, बांदा और आसपास के जनपदों में की जाती थी अवैध गांजे की बिक्री।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन ईगल"** के क्रम में थाना जसपुरा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि दिनांक 06/07.05.2026 की रात्रि में थाना जसपुरा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति हमीरपुर से अवैध गांजा लेकर जनपद बांदा की तरफ आ रहे है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा थाना जसपुरा क्षेत्र के रामपुर चौराहे के पास चेकिंग शुरु की गई इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर घेराबन्दी की गई तो उक्त लोगों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही करते हुए तत्परता से घेरकर दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से प्लास्टिक के बोरी में अवैध सूखा गांजा तथा घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे, जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस, आदि सहित परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे दोनों हमीरपुर, बांदा व आसपास के जनपदों में कई स्थानों पर अवैध गांजे की तस्करी की जाती है। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और कहां-कहां और किन-किन जनपदों में अवैध गांजे की सप्लाई की जाती है साथ ही इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त नीलेश पुत्र सदाशिव पर पूर्व से ही बांदा और हमीरपुर में गैंगस्टर, गुण्डा एक्ट आदि सहित आधे दर्जन से अधिक मामलें दर्ज है।

बरामदगी-

- 05 किलो 150 ग्राम अवैध सूखा गांजा
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
- 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल (अवैध गांजे के परिवहन में प्रयुक्त)
- 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नीलेश पुत्र सदाशिव निवासी गरौती थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
2. भोला पुत्र चुन्नू निवासी गरौती थाना तिंदवारी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 64/26 धारा 109 बीएनएस, 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नीलेश उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 473/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।
2. मु0अ0सं0- 01/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।
3. मु0अ0सं0- 2/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिवार जनपद हमीरपुर।
4. मु0अ0सं0- ---/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना खम्तरी जनपद रायपुर (छत्तीसगढ़)।
5. मु0अ0सं0- 141/06 धारा 60 आब0अधि0 थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0- 236/06 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0- 182/09 धारा 110जी यूपी गुंडा एक्ट थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0- 755/14 धारा 3/7 ईसी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भोला उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 60/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0नि0 थाना जसपुरा
2. श्री आकाश कुमार चौकी प्रभारी अमारा
3. हे0कां0 मनोज कुमार पाण्डेय
4. कां0 दिलीप कुमार
5. कां0 विनय कुमार
6. कां0 मोहित कुमार
7. कां0 कृष्ण कुमार पाठक